

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/वि0नि0-18-08/2016

पटना, दिनांक-

श्री मोहन कुमार, राज्य-कर अपर (प्रशासन), मगध प्रमण्डल, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-04.12.2024 से 18.12.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-15=285) (दो सौ पचासी) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

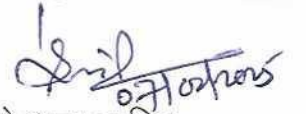
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07/12/25

आपका-06/वि0नि0-18-08/2016 405

प्रतिलिपि-वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमण्डल, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मोहन कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।